15/7/2025

पत्रावली पेश हुई वकील वादी अनु० पस्थित है। वादीगण स्वयं भी अनुपस्थित है। इनकी ओर से कोई अन्य वकील भी उपस्थित नही है। बार-बार आवाजे लगवाई गई। परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी उपस्थित नही है। अतः राजस्व वाद पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर सेक्शन होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)